आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर एजीपी उपस्थित।

अनावेदक / जमानतदार हरगोविंद सहित श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / जमानतदार की ओर से नोटिस अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 का जबाव पेश किया।

अनावेदक की ओर सूची अनुसार दस्तावेज बी०पी०एल० राशन कार्ड की फोटोप्रति पेश की गई है तथा अवलोकनार्थ गरीबी रेखा का मूल राशन कार्ड पेश किया गया, जो वापस किया गया। प्रतिलिपि आवेदक पक्ष को प्रदान की गयी।

धारा 446 द0प्र0सं० के अंतर्गत प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने के बिन्द् पर उभयपक्ष को स्ना गया।

आवेदक / राज्यपक्ष की ओर से एजीपी द्वारा अधिक से अधिक राशि राजसात किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकट किया गया कि सत्र प्रकरण कमांक 276 / 14 में उक्त जमानतदार से संबंधित अभियुक्त की उपस्थिति हो गयी है और प्रकरण का निराकरण हो चुका है।

जबिक अनावेदक / जमानतदार की ओर से कम से कम राशि राजसात किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि संबंधित सत्र प्रकरण कमांक 276 / 14 में जमानतदार ने अभियुक्त को बेल जम्प हो जाने के बाद दो पेशी के अंदर ही उपस्थित करा दिया है एवं जमानतदार बृद्ध व बीमार होकर अति गरीब व्यक्ति है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुए इस प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त सत्र प्रकरण में जमानतदार / अनावेदक हरगोविंद द्वारा अभियुक्त राजेश की 50000 / — रुपए की जमानत दी गयी है और विचारण के दौरान अभियुक्त राजेश के अनुपस्थित हो जाने के बाद उक्त अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति हो गयी है तथा उक्त सत्र प्रकरण का निराकरण हो चुका है एवं अनावेदक / जमानतदार की ओर से व्यक्त किया गया है कि अनावेदक / जमानतदार हरगोविंद बृद्ध व बीमार होकर अत्यधिक गरीब है तथा अपना इलाज करा पाने में भी असमर्थ है।

अतः उक्त समस्त के आलोक में न्याय हित में अनावेदक / जमानतदार हरगोविंद के 50000 / — रुपए के प्रतिभूति पत्र में से शेष राशि का परिहार करते हुए 5000 / — रुपए (पांच हजार रूपये) की राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार उसकी ओर से उक्त राशि जमा करायी जावे।

इसी समय अनावेदक / जमानतदार हरगोविंद की ओर से राजसात की गयी

राशि 5000 / — रुपए रशीद क्रमांक 91 बुक क्रमांक 6886 पर जमा करायी गयी। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से आगामी तिथि निरस्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज हो व प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०